ई-मेल

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 मई, 2026

विषयः- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण , उद्‌ग्रहण एवं संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 लागू किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि अधिसूचना संख्या-आई/1306214/2026-8-3099/ 69/2025, दिनांक 24.04.2026 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 की उपधारा(2-क) के साथ पठित धारा-55 की उपधारा(2) के खण्ड(ग) के अधीन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्‌ग्रहण एवं संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 निर्गत की गयी है, जिसके माध्यम से विकास शुल्क उद्‌ग्रहण की संशोधित प्रणाली लागू की गयी है। उपर्युक्त नियमावली को उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतएव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-92 की उपधारा(2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्‌ग्रहण एवं संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देते हैं।

3- कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
GURU PRASAD PORALA
(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।